भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1197
उत्तर देने की तारीख:19.09.2020

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

†1197. श्री पी॰वी॰ मिधुन रेड्डीः
डॉ॰ संजीव कुमार शिंगरीः
श्रीमती चिंता अनुराधा :
श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी परीक्षाओं, जो कोविड के कारण विलंबित हो गई थीं, को 30 सितंबर 2020 तक पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों को निदेश दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश जारी किया है कि कोई भी राज्य जिसके लिए 30 सितंबर, 2020 तक परीक्षाएं कराना संभव नहीं है वे इस समयावधि को बढ़ाने के लिए यूजीसी जा सकते हैं;
(घ) क्या इस निदेश के अन्तर्गत कोई राज्य सरकार यूजीसी गई है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर के बारे में दिनांक 06.07.2020 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालयों के लिए अपेक्षित है कि कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्धारित प्रोटोकॉल / दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ऑफ़लाइन (पेन एंड पेपर) / ऑनलाइन / मिश्रित (ऑनलाइन + ऑफ़लाइन) मोड में सितंबर, 2020 के अंत तक परीक्षाएं पूरी कर लें। यह दिशानिर्देश https://www.ugc.ac.in/pdfnews/6100894_UGC-Revised-Guidelines-on-Examinations-and-Academic-Calendar-for-the-Universities-in-view-of-COVID-19-Pandemic_06_07_2020.pdf पर उपलब्ध हैं।

(ग): माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी (सिविल) सं. 724/2020 तथा अन्य पर अपने निर्णय दिनांक 28.08.2020 द्वारा मामलों के बैच का निपटारा किया है और आदेश दिया है कि यदि किसी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके निर्णय लिया

है कि अंतिम वर्ष / टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा को 30.09.2020 तक करा पाना संभव नहीं है, तो वह राज्य / केंद्र शासित प्रदेश अपने लिए 30.09.2020 की समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए यूजीसी को आवेदन करने हेतु स्वतंत्र हैं। यूजीसी द्वारा उस पर विचार किया जाएगा और उस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश को यथाशीघ्र पुनर्निर्धारित तिथि की सूचना दी जाएगी।

(घ) और (ङ): इस संबंध में पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, मेघालय और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने यूजीसी से संपर्क किया है।

*****